न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी :बृजमोहन नोगिया, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 89/2019

अपीलांट

1. राजूसिंह पुत्र जीवनसिंह
2. रणजीतसिंह पुत्र जीवनसिंह
3. रूपसिंह पुत्र भुरसिंह
4. महेन्द्रसिंह पुत्र पन्नेसिंह जातिगण रावत राजपूत निवासीगण दिपावास तहसील रायपुर जिला पाली।

बनाम

रेस्पोडेन्ट

1. पूरणसिंह प्रकाश गौड पुत्र बुद्धीप्रकाश गौड जाति ब्राहम्ण निवासी रायपुर हाल निवासी अजगर बाबा का थान, सेन्दडा रोड ब्यावर
2. अमरसिंह पुत्र पन्नेसिंह
3. देवीसिंह पुत्र पन्नेसिंह जातिगण रावत निवासीगण दीपावास तहसील रायपुर
4. कवरी पुत्री पन्नेसिंह पत्नी लक्ष्मणसिंह जाति रावत निवासी मालडी (दीपावास) तहसीलद रायपुर जिला पाली
5. प्रेम पुत्री पन्नेसिंह पत्नी नारायणसिंह जाति रावत निवासी बाणियामाली (सिरियारी) तहसील मारवाड जंक्शन जिला पाली
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भुमिधारी रायपुर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

श्री मोहम्मद शरीफ काजी, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट

श्री श्याम पंचारिया, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01

शेष रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित

राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 06 की ओर से

–: निर्णय :–

दिनांकः– 19/03/2020

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत उपखंड अधिकारी रायपुर द्वारा राजस्व वाद संख्या 127/2014 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 07.12.2014

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 02 से 05 बावजूद सूचना अनुपस्थित। अत उक्त पक्षकारान के विरूद्ध गुणवागुण पर निर्णय पारित किया जाता है। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं धारा 111 व धारा 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत रेस्पोडेन्ट संख्या 02 व 03 व अपीलांट महेन्द्रसिंह के विरूद्ध बादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 128, 129, 130 कुल रकबा 31 बीघा 2 बिस्वा के संबध में प्रस्तुत निवेदन किया कि अपीलांट महेन्द्रसिंह व रेस्पोडेन्ट संख्या 02 व 03 तथा मृतक पन्नेसिंह अपीलांट की कृषि भूमि में दखलदांजी कर रहे है तथा सीमा ज्ञान नहीं होने के कारण विवाद बढा हुआ है। रेस्पोडेन्ट तथा अपीलांट महेन्द्रसिंह नाजायज तरीके से अधिक कृषि भूमि पर कब्जा करने पर आमादा है। अत उक्त पक्षकारान के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा जावे तथा मौके पर पत्थरगढी करवाकर हिस्सा अलग किये जाने का निवेदन किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। जो कि विधिसम्मत नहीं है। अपीलांट व अन्य सह खातेदारान जो लगभग 45 है इनका खसरा संख्या 131 व 271 में बशामलाती कब्जा काश्त है जिसमे पन्नेसिंह, मोहनसिंह का 1/9 हिस्सा, जीवनसिंह, बुद्धिसिंह, देवी, सुगनीदेवी, खंगारसिंह, पुनमसिंह का 1/9 हिस्सा, मगेसिंह, श्रवणसिंह, हरिसिंह, हिरासिंह, कमलादेवी का 1/9 हिस्सा, तथा केसरसिंह, जगेसिंह, रणजीतसिंह, रोडसिंह, वजी, रूपसिंह व पन्नेसिंह के साथ 1/9 हिस्सा तथा अन्य सहखातेदारो का भी हिस्सा दर्ज है बशामलाती है। जिनका नाम चौक कर विभाजन नहीं किया हुआ है जो खसरा संख्या 131 व 271 है इस कृषि भूमि में बिना बंटवाडा करवाये ही किसी भी व्यक्ति का विशिष्ठ हिस्सा व विशिष्ठ लोकेशन नहीं है। किन्तु रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा मृतक पन्नेसिंह, महेन्द्रसिंह, अमरसिंह व देवीसिंह के विरूद्ध दावा किया गया तथा इनके विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त की गई जबकि अपीलांट को इसके बाबत कोई जानकारी नहीं है। खसरा संख्या 131 व 135 में अपीलांट का संयुक्त कब्जा काश्त है व उपयोग उपभोग है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील निर्णय व डिक्री के पेज संख्या 1 में अंतिम की 8 वी लाइन के उपर यह दर्ज किया गया है कि खसरा संख्या 130 में रायपुर से दिपावास जाने वाली सडक आई हुई है इस सडक से चिपते अपीलांट का उपयोग उपभोग है जबकि सडक के चिपते खसरा संख्या 130 का अस्तित्व नहीं है न ही कभी अस्तित्व रहा है। खसरा नंबर 131 के दक्षिण की

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

तरफ दिपावास जाने वाली आम सडक नक्शे में है जिसके खसरा संख्या 153 है जिसमे रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का कोई हक हकुक नहीं है चूंकि खसरा संख्या 153 में मौके पर कोई रास्ता नहीं है व रास्ता मौके पर खसरा संख्या 131 के बीचो बीच है व 131 के बीच में जो रास्ता निकला हुआ है इसके उत्तर की तरफ अपीलांट की खातदोरी की कृषि भूमि खसरा संख्या 131 स्थित है व खसरा संख्या 131 के उत्तर में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की खसरा संख्या 130 की भूमि है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 रास्ते व स्वंय की कृषि भूमि के बीच जो अपीलांट की कृषि भूमि है इसके रेस्पोडेन्ट संख्या 01 हस्तक्षेप करने हेतु आमादा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील निर्णय व डिक्री स अपीलांट के खसरा संख्या 131 व 135 के निष्बत हो चुकी है। जबकि अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पक्षकार ही नही बनाया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 07.12.2014 को आदेशिका पर महेन्द्रसिंह को हस्ताक्षर करने बताये है जो हस्ताक्षर महेन्द्रसिंह के फर्जी है। महेन्द्रसिंह अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष कभी उपस्थित नहीं आये। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 10.10.2014 को दावा दर्ज किया गया एवं दिनांक 20.11.2014 को मृतक पन्नेसिंह के हस्ताक्षर बताये गये जबकि पन्नेसिंह द्वारा कोई हस्ताक्षर नहीं किये गये। इसके अतिरिक्त देवीसिंह व अमरसिंह के भी हस्ताक्षर फर्जी है तथा इनके द्वारा भी रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के दावे को कभी स्वीकार नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना अपीलांट महेन्द्र सिंह को सुनवाई का अवसर दिये जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है जो कि विधिसम्मत नहीं है। अत अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील निर्णय व डिक्री अपास्त फरमावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपील बहस करते हुए निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं धारा 111 व धारा 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत रेस्पोडेन्ट संख्या 02 व 03 व अपीलांट महेन्द्रसिंह के विरूद्ध वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 128, 129, 130 कुल रकबा 31 बीघा 2 बिस्वा के संबध में प्रस्तुत निवेदन किया कि अपीलांट महेन्द्रसिंह व रेस्पोडेन्ट संख्या 02 व 03 तथा मृतक पन्नेसिंह अपीलांट की कृषि भूमि में दखलदांजी कर रहे है तथा सीमा ज्ञान नहीं होने के कारण विवाद बढा हुआ है। रेस्पोडेन्ट तथा अपीलांट महेन्द्रसिंह नाजायज तरीके से अधिक कृषि भूमि पर कब्जा करने पर आमादा है। अत उक्त पक्षकारान के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा जावे तथा मौके पर पत्थरगढी करवाकर हिस्सा अलग किये जाने का निवेदन किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दावा संख्या 127/2014 में अपीलांट व अन्य रेस्पोडेन्ट को पूर्ण रूप से जानकारी थी। इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने अपनी खातेदारी आराजी खसरा नंबर 128,

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

129 व 130 की भूमि के संबध में उसके सीमा ज्ञान हेतु पेश किया गया, उक्त निर्णय से रेस्पोडेन्ट अपीलांट किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं है। अपीलांट द्वारा उक्त अपील में अपनी खसरा नंबर 131 व 135 की भूमि के संबध में उल्लेख करते हुए अपील प्रस्तुत की गई, जबकि रेस्पोडेन्ट उत्तरदाता के पास पूर्व में खसरा नंबर 135/9 की भूमि आती है तथा उस भूमि के संबध में अपीलांट व रेस्पोडेन्ट द्वारा बंटवाडा का वाद प्रस्तुत कर उक्त भूमि खसरा नंबर 135, 134 में बंटवाडा किया गया, उक्त बंटवाडा की कार्यवाही में सभी सहखातेदारो ने अपनी भूमि बंटवाडा कराकर मौके पर एवं राजस्व रेकर्ड में प्रापत की गई, जब खसरा नंबर 135 की भूमि पूर्ण रूप से विभाजित है तथा सहखातेदारो के हिस्सेनुसार मौके पर स्थिति है, जिस भूमि के संबध में यदि कोई विवाद है तो अपीलांट अपने सह खातेदारों के मध्य विवाद कर कार्यवाही कर सकते है। इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील निर्णय व डिक्री दिनांक 07.12.2014 को पारित की गई। उक्त निर्णय की जानकारी प्रतिवादीगण को थी, उसके पश्चता राजस्व अधिकारियो द्वारा रेस्पोडेन्ट की भूमि का सीमा ज्ञान किया गया, उस रोज पत्थरगढी की कार्यवाही के दौरान अपीलांट व रेस्पोडेन्ट को निर्णय की पूर्णतया जानकारी थी। उसके पश्चात अपीलांट द्वारा एक सिविल वाद बर न्यायालय में पेश किया जिसका विस्तृत जवाब मय दस्तावेज अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 18.04.2019 को पेश किया जिसकी नकले अपीलांट पक्षकारान को दी गई थी, जबकि अपीलांट ने उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी दिनांक 18.04.2019 को हो गई थी, जबकि अपीलांट ने निर्णय व डिक्री की जानकारी के संबध में जो दिनांक 13.11.2019 को होना बताया, उक्त जानकारी अपीलांट को किस प्रकार से हुई तथा किस माध्यम से हुई उसके कोई सुसंगत कथन म्याद प्रार्थना पत्र व शपथ में उल्लेखित नहीं किये गये। अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील निर्णय व डिक्री की पूर्णतया जानकारी होने के बावजूद उक्त अपील म्याद बाहर प्रस्तुत की गई जो कि खारिज होने योग्य है। इसके अतिरिक्त अपीलांट राजूसिंह, रणजीतसिंह, रूपसिंह जो अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पक्षकार नहीं थे, जिन्होने हाजा न्यायालय में जैर अपील निर्णय व डिक्री के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की है किन्तु अपील के साथ अनुमति प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी के तहत प्रस्तुत नहीं किया है। जिससे उक्त अपील चलने योग्य नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट महेन्द्रसिंह को पूर्णतया सुनवाई का अवसर देते हुए जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। जो कि पूर्णतया विधिसम्मत है। अत अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील उक्त समस्त कारणो से खारिज फरमाई जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत

धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं धारा 111 व धारा 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत रेस्पोडेन्ट संख्या 02 व 03 व अपीलांट महेन्द्रसिंह के विरूद्ध वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 128, 129, 130 कुल रकबा 31 बीघा 2 बिस्वा के संबध में प्रस्तुत निवेदन किया कि अपीलांट महेन्द्रसिंह व रेस्पोडेन्ट संख्या 02 व 03 तथा मृतक पन्नेसिंह अपीलांट की कृषि भूमि में दखलदांजी कर रहे है तथा सीमा ज्ञान नहीं होने के कारण विवाद बढा हुआ है। रेस्पोडेन्ट तथा अपीलांट महेन्द्रसिंह नाजायज तरीके से अधिक कृषि भूमि पर कब्जा करने पर आमादा है। अत उक्त पक्षकारान के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा जावे तथा मौके पर पत्थरगढी करवाकर हिस्सा अलग किये जाने का निवेदन किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद में अपीलांट संख्या 01 से 03 बतौर पक्षकार नियोजित नहीं थे, एवं हाजा न्यायालय के समक्ष उक्त पक्षकारान ने अपील प्रस्तुत की है, किन्तु अपील के साथ अपील प्रस्तुत करने की अनुमति बाबत 96 सी.पी.सी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया है। इस स्थिति में उक्त अपील चलने योग्य नहीं है। इसके अतिरिक्त अपीलांट द्वारा उक्त अपील को म्याद शुमार करने हेतु धारा 5 परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिसमे जैर अपील निर्णय व डिक्री की जानकारी दिनांक 13.11.2019 को होना बताया है, जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय व डिक्री दिनांक 07.12.2014 को पारित किया गया है। अपीलांट द्वारा उक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्ध लगभग 5 साल बाद उक्त अपील प्रस्तुत की गई है। इस सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आर0आर0टी0 2015 (1) पेज 232 भानूप्रतापसिह बनाम श्रीमति घनश्याम कुमारी व अन्य में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि "परिसीमा अधिनियम 1963–धारा 5– सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 – धारा 96 – विलम्ब का शमन – अपील पेश करने के 271 दिनों का विलम्ब – विभाजन तथा कब्जा हेतु वाद – 271 दिनों के विलम्ब के लिये सम्याभासी कारण नही बताया गया। मियाद बाधित होने से अपील खारिज की गई।" इसी प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा आर0आर0टी0 2014 (2) पेज 1331 में प्रतिपादित किया कि परिसीमा अधिनियम 1963 धारा 5 – विलम्ब का शमन, एस.एल.पी. पेश करने में 481 दिनों का विलम्ब – आधार लिया कि पत्रावली के एक विभाग/अधिकारी से दूसरे में आने के कारण विलम्ब हुआ, पर्याप्त एवं ठोस आधार नही– विलम्ब शमन हेतु मामला नहीं बनता है।" इसी प्रकार आर0आर0टी0 2014 (2) पेज 1349 में माननीय राजस्व मण्डल की वृहद पीठ द्वारा यह व्यवस्था प्रदान की है कि "परिसीमा अधिनियम 1963 धारा 5, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, धारा 224 – अपील पेश करने में 9 वर्ष

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

का विलम्ब – प्रथम अपील भी कालबाधित थी, प्रत्येक तारीख पर उपस्थित होकर अपने मामले की जानकारी रखना मुवक्किल का दायित्व है। वाद भी एकपक्षीय डिक्री हुआ, अपीलाण्ट के वकील को सुनने के बाद प्रथम अपील निर्णित की। विलम्ब हेतु सन्तोषप्रद स्पष्टीकरण नहीं, निर्णित, आवेदन व अपील खारिज होने योग्य है।" अपीलांट द्वारा हाजा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम के अन्तर्गत जैर अपील निर्णय व डिक्री की जानकारी दिनांक 13.11.2019 को होना बताया है। इस संबध में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 07.12.2014 के समक्ष अपीलांट महेन्द्रसिंह के हस्ताक्षर है, जिससे यह स्पष्ट है कि अपीलांट महेन्द्रसिंह को जैर अपील निर्णय व डिक्री की पूर्णतया जानकारी थी, किन्तु अपीलांट ने जानबूझकर हाजा न्यायालय के समक्ष 5 साल बाद उक्त अपील प्रस्तुत की गई है एवं उक्त विलम्ब के संबध मे धारा 5 परिसीमा अधिनियम में कोई उल्लेख नहीं किया है। साथ ही उक्त विलम्ब के संबध मे धारा 5 परिसीमा अधिनियम के प्रार्थना पत्र में कोई यथोचित कारण दर्शित नहीं किया है। जिससे अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 परिसीमा अधिनियम प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य प्रतीत नहीं होता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील निर्णय समस्त पक्षकारान को सुनवाई का अवसर देते हुए जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। जिसमे हमे किसी प्रकार की विधिक त्रुटि प्रतीत नही होती है। इसके अतिरिक्त यहां यह भी न्यायहित में उल्लेख करना उचित समझते है कि अपीलांट द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 01 पूरण प्रकाश गौड के विरूद्ध मुकदमेबाजी न्याय प्राप्त करने के उद्देश्य से नहीं की जा रही है, वरन् न्यायालय की आड में अपने निहित स्वार्थो की पूर्ति हेतु वाद–विवाद किया जा रहा है। इस प्रकार अपीलांट द्वारा न्यायालय को अपने स्वार्थ परक हितो के लिये हथियार के रूप में काम में लिया जा रहा है, जो न्यायिक एवं कानूनी रूप से उचित नहीं है। अपीलांट के द्वारा अपने निहित स्वार्थो की पूर्ति को न्यायालय को हथियार के रूप में काम लिया जा रहा है, जिसका न्याय प्राप्ति उद्देश्य नहीं है, जो कि विधि के विरूद्ध है। इससे न्यायालय की गरिमा एवं महत्वपूर्ण समय भी अनावश्यक रूप से खर्च होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी के अभाव में एवं म्याद बाहर होने से खारिज की जाती है तथा उपखंड अधिकारी रायपुर द्वारा राजस्व वाद संख्या 127/2014 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 07.12.2014 यथावत रखा जाता हैं अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

89/2019

राजूसिंह वगैरह बनाम पूरण प्रकाश गौड वगैरह

पेज नंबर 7/7

निर्णय आज दिनांक 19/03/2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बृजमोहन नोगिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली